भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1640
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सिंचाई जल आपूर्ति परियोजनाएं

1640. श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी जल आपूर्ति परियोजनाएं चल रही हैं,
(ख) इन जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आ रही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है,
(घ) चल रही जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ङ) क्या सरकार के पास इन जल आपूर्ति परियोजनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव और निगरानी की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का प्रस्ताव चल रही सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ भागीदारी में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। माह अगस्त, 2019 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत से केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब

तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 02.12.2024 तक, लगभग 12.10 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 02.12.2024 तक, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.33 करोड़ (79.11%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 4.02 लाख परिवारों को राज्य द्वारा उसकी आयोजना के अनुसार कवर किए जाने की आशा है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के स्थायी प्रबंधन की दिशा में बहुत सी पहल की हैं, अर्थात् वर्ष 2015 में शुरू किए गए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और वर्ष 2021 में अमृत 2.0 शुरू किया गया। अमृत बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे के विकास विशेष रूप से 500 शहरों में हर घर में जल आपूर्ति और नल कनेक्शन तक पहुंच पर केंद्रित है। इसे आगे बढ़ाते हुए, अमृत 2.0 देश के सभी वैधानिक शहरों को शामिल करता है ताकि पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित हो और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। इसमें जल निकायों के कायाकल्प, शहरी जलभृत प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने और मीठे पानी के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन की परिकल्पना की गई है। जल उपलब्धता और संरक्षण के लिए अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति द्वारा 1,14,073.65 करोड़ रुपये की 3,596 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग) राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में विलंब आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कतिपय समस्याएं हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे माल विशेष रूप से डीआई/एचडीपीई पाइपों की खराब उपलब्धता ने भी राज्यों में कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

भारत सरकार द्वारा चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन, तर्कसंगत मूल्यों पर पाइपों की सुनिश्चित तथा पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु उपयुक्त उपाय करना, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल

मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाना, कार्यक्रम प्रबंधन हेतु तकनीकी कौशल योग्यताओं और मानव संसाधन उपलब्धता अंतराल को कम करने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और *"नल जल मित्र कार्यक्रम"* का कार्यान्वयन शामिल हैं।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि अमृत के तहत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी निर्माण अवधि वाली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं और राज्यों ने सूचित किया है कि कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कारणों से देरी हुई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, जलवायु संबंधी चुनौतियां, अपेक्षित मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में देरी और जटिल शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुभवी और तकनीकी रूप से कुशल ठेकेदारों की कमी आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सृजित अवसंरचना की दीर्घावधिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान करने से पहले गुणवत्तायुक्त सामग्री और गुणवत्तायुक्त निर्माण को तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, सेंसर आधारित आईओटी समाधान के माध्यम से गांवों में जल आपूर्ति की माप और निगरानी, वैधानिक प्रावधानों के अधीन लक्षित वितरण के लिए घर के मुखिया के आधार को जोड़ना, सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग आदि का भी जेजेएम के तहत प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।

जेजेएम के तहत अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, एमपी/एमएलए-एलएडी निधि, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के साथ सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के मुद्दे को हल करने के लिए, जेजेएम के तहत यह प्रावधान भी किया गया है कि योजना के शुरू होने के बाद समुदाय को चरणबद्ध तरीके से उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के साथ-साथ उनके संबंधित गांव में जल आपूर्ति योजना पर पूंजीगत व्यय का 10% तक पुरस्कार/प्रोत्साहन दिया जाए।

जैसा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है, अमृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की सावधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई परियोजनाओं की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी और ट्रैकिंग के लिए अमृत और अमृत 2.0 पोर्टल हैं। मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित शीर्ष समिति समय-समय पर अमृत मिशन की समीक्षा, निगरानी और पर्यवेक्षण करती है। राज्यों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) की स्थापना का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है।

(च) पेयजल राज्य सूची का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजनाओं के निष्पादन आदि के लिए निजी कंपनियों को शामिल कर सकती हैं।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि है। पीएमकेएसवाई के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) कार्यक्रम निर्मित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर कम करने और भागीदारी सिंचाई प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किसानों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए, बेहतर जन जागरूकता के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, डब्ल्यूएएलएमआई और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने की सिफारिश की जाती है।

*****